

प्रमाणपत्र
(क्रय समिति द्वारा रू 25000/- से उपर तथा 250000/- तक के
क्रय हेतु)
(नियम-155-जी.एफ.आर.ए 2017 के अनुसार)

CERTIFICATE
(PURCHASE OF GOODS UP TO VALUE OF Rs. 25000/- to Rs. 250000/- by Purchase
Committee)
[Rule 155 of GFR, 2017]

क्रय समिति के निम्नलिखित सदस्य संयुक्त रूप से संतुष्ट हैं कि क्रय हेतु संस्तुत किया गया सामान, अपेक्षित विनिर्दिष्ट एवं गुणवत्ता युक्त, उचित बाजार मूल्य पर आपूर्ति करने में पूर्तिकार, विश्वसनीय एवं पूर्णतयः सक्षम है ।

"certified that we, members of the purchase committee are Jointly and individually satisfied that the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question, and it is not debarred by Department of Commerce or Ministry/Department concerned."

पूर्तिकार का नाम व पता
Name and Adress of the supplier

सामान का ब्यौरा
Description of Goods

सामान का मूल्य
Goods Value

अध्यक्ष
Chairmen

सदस्य
Member

सदस्य
Member

सदस्य
Member

सदस्य
Member

सदस्य -सचिव
Member- Sceretary

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Controlling Officer